(92)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी/इंदौर/भू.रा./2017/1916 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–4–2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण कमांक 198/2016–17/अपील.

———

1– राकेश पिता करण सिंह सोलंकी
2– दिलीप पिता करण सिंह सोलंकी
3– महेश पिता करण सिंह सोलंकी
4– नारायण पिता रामाजी प्रजापत
5– किशन पिता गणपत तंवर मृत तर्फे वारिस
संतोषीबाई बेवा किशन व तुलसीराम
भगवानसिंह पिता स्व. किशन
6– तेजसिंह पिता बाबुलाल तंवर
7– बद्रीलाल पिता गंगाराम प्रजापत
8– बालकृष्ण पिता गंगाराम प्रजापत
9– विकमसिंह पिता बाबुलाल तंवर
10– राकेश पिता तेजप्रसाद कुशवाह
11– विष्णु पिता तेजप्रसाद कुशवाह
निवासीगण ग्राम तलावली चांदा
तहसील इंदौर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती शोभा पति डॉ. गोविन्द मिश्रा
पता भागीरथ कृपा 104/2/2
भिचौली मर्दाना इंदौर
2– रमजान पिता मुनीर अली
3– सावित्री पति मुनीर अली
4– शौकत पिता मुनीर अली
5– कमल पिता जगन्नाथ
6– वासुदेव पिता चेनाजी परमार
7– रामप्रसाद पिता वासुदेव
निवासीगण ग्राम तलावली चांदा तहसील इंदौर .....अनावेदकगण

———

श्री रितेश तिवारी, अभिभाषक, अनावेदकगण
श्री अजय मिश्रा, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

———

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/2/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–4–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका कमांक 1 द्वारा तहसीलदार, तहसील इंदौर के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराये जाने पर सर्वे कमांक 164/1/1/ रकबा 0.468 हेक्टेयर पर आवेदकगण का अवैध कब्जा पाया गया है, अतः कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 8–4–2013 को प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा आवेदकगण से अनावेदिका कमांक 1 को दिलाये जाने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, विजयनगर इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22–12–2016 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के विरूद्ध अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 26–4–2017 को आदेश पारित कर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण को राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत वर्ष 1998 में पट्टे जारी किये गये थे, जिस पर वे पक्के मकान बनाकर निवासरत हैं । अतः तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने में तथ्यात्मक स्थिति पर कोई विचार नहीं किया गया । इस आधार पर कहा गया कि पक्के बने मकानों पर संहिता की धारा 250 लागू नहीं होती है । यह भी कहा गया कि सीमांकन कार्यवाही में संहिता की धारा 129 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना नहीं दी गई है एवं सीमांकन प्रकरण में अन्य लोग भी पक्षकार थे, जिन्हें तहसील न्यायालय द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि पक्षकारों के कुसंयोजन के आधार पर ही तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने योग्य

थी, किन्तु इस स्थिति पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई विचार नहीं करने में अवैधानिकता की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण गरीब, मजदूर व्यक्ति हैं और शासन द्वारा उन्हें जीवन यापन के लिए भूमि पट्टे पर दी गई थी, अतः तहसीलदार द्वारा उन्हें बेदखल करने का आदेश पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना की गई है ।

4/ अनावेदिका कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि जिस भूमि पर आवेदकगण का कब्जा है, वह राजस्व अभिलेखों में अनावेदिका कमांक 1 के नाम दर्ज है ।

(2) राजस्व अभिलेखों में प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण को पट्टे पर दिया जाना तथा शासन की होने का कोई उल्लेख नहीं हैं ।

(3) आवेदकगण के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, जिससे यह प्रमाणित हो कि प्रश्नाधीन भूमि उनके स्वामित्व की होकर मालिकी एवं आधिपत्य की है

5/ शेष अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदिका कमांक 1 के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है, जिसका उसके द्वारा विधिवत सीमांकन कराया गया है, जिसमें आवेदकगण का अवैध कब्जा पाया गया है । यह महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु है कि निजी स्वामित्व की भूमि का पट्टा नहीं दिया जा सकता है और आवेदकगण को पट्टे शासकीय भूमि के ही मिले होंगे । अतः अनावेदिका कमांक 1 की निजी स्वामित्व की भूमि पर आवेदकगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 8–4–2013 को आदेश पारित कर अनावेदिका कमांक 1 की भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि से आवेदकगण का कब्जा हटाये जाने का आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22–12–2016 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश यथावत रखा गया है । अपर आयुक्त द्वारा भी दिनांक 26–4–2017 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं होने से स्थिर रखे गये हैं । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधि संगत समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप

करने का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप व अन्य में निम्नलिखित न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया :–

"धारा 50–समवर्ती निष्कर्ष–अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं–पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–4–2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर